

न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला- सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 30 / 19

तारीख रजू : 11.10.19

निर्णय दिनांक : 31-10-19

सरकार बनाम मदन पुत्र शिवलाल

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुर बडौदा ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि मदन पुत्र शिवलाल जाति मीना निवासी डिबस्या ने खसरा नं. 1014 रकबा 0.15 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम डिबस्या पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से कब्जा, छप्पर व बाडा बनाकर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

पटवारी हल्का उपस्थित। गैरसायल बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहा है।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है।

अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 1.24 की 50 गुनी शास्ति 64/- आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर एवं बेदखल कर पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


निर्णय आज दिनांक 31.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

रजिस्टर "घ" के पेज संख्या ९१...

पर रुपये 64/- की कायमी वर्ष

2019-20 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार


तहसीलदार
गंगापुर सिटी